उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनाँक 6.7.1993 को विकास भवन,जनपथ,लखनऊ में हुई वर्ष 1993 को तृतीय बैठक कीकार्यवृत्त।

दिनाँक 6.7.93 को हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | सर्व श्री आर0एस0 माथुर | प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0शासन,लखनऊ। | अध्यक्ष |
| (2) | ,, शंकर अग्रवाल | विशेष सचिव, वित्त विभाग, (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| (3) | ,, हरि कृष्ण शर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम्य-नियोजक। | सदस्य |
| (4) | ,,सी0बी0पालीवाल | विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम-ब्यूरो, (प्रमुख सचिव/महानिदेशक-सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| (5) | ,, आशुतोष त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, (प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| (6) | ,, बाबू राम | आवास आयुक्त | सदस्य |
| (7) | ,,दीपक कृष्ण वर्मा | अपर आवास आयुक्त एवं सचिव। | सचिव |

विशेष आमन्त्री के रूप में:-

1. श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता।
2. ,, आर0एस0दोहरे , वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी।
3. ,, ए0के0पचौरी मुख्य वास्तुविद् नियोजक।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

| क्रमसं0 | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| {2} | परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 29.5.93 की अनुपालन आख्या। | तृतीय/{2}/93 | अवलोकन किया गया। |
| {3} | परिषद द्वारा संचालित 4 भूमि अर्जन योजनाओं में हडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में। | तृतीय/{3}/93 | अवलोकित किया गया। |
| {4} | हडको वित्त पोषित चतुर्थ हडको एम0आई0जी0 परियोजना संजय बिहार स्कीम नं0-2{हापड़ स्कीम नं0-10300}में स्वीकृत ऋण की सामान्य शर्तों के संबंध में। | तृतीय/{4}/93 | अवलोकित किया गया। |
| {5} | राष्ट्रीय आवास बैंक की स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ,आगरा एवं इलाहाबाद शहरों के लिये ऋण प्रस्ताव रू0 1281.62 लाख। | तृतीय/{5}/93 | अवलोकित किया गया। |
| {6} | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद ऋण प्रोजेक्ट रू0 2751.36 लाख की ब्याज भुगतान की शर्तों में संशोधन हेतु प्रस्ताव। | तृतीय/{6}/93 | अवलोकित किया गया। |
| {7} | परिषद की फर्रा रोड विस्तार योजना लखनऊ के तृतीय विस्तार में समाविष्ट ग्राम मोहम्मदपुर खत्री,भूमि खसरा सं0-25,41 व 50 की भूमि इण्टर नेशनल इस्टीट्यूट फार स्पेशल एजूकेशन के पक्ष में अर्जन मुक्त करने विषयक। | तृतीय/{7}/93 | गाटा संख्या 25,41 व 50 को परिषद के वर्तमान विकास शुल्क की दर पर प्राप्तकर परिषद की योजना में समायोजित किया जाय। |
| {8} | नीलामी द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्ति के एलेक्शन संबंधी विनियम 1980 में यथा आवश्यक संशोधन के उपरान्त संशोधित विनियमावली। | तृतीय/{8}/93 | अवलोकन किया गया। परन्तु प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| {9} | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम 1989 के नियम-5{ख} में संशोधन करने के संबंध में। | तृतीय/{9}/93 | डेफर किया जाय। इस प्रकरण का और परीक्षण कर लिया जाय। आवश्यकतानुसार अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय। |
| {10} | सहायक श्रेणी-द्वितीय के पद पर सीधी भर्ती का प्राविधान समाप्त किये जाने के संबंध में। | तृतीय/10}/93 | डेफर किया जाय। इस प्रकरण का और परीक्षण कर लिया जाय। आवश्यकतानुसार अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (11) | लेखा संवर्ग (सहायक लेखाकार, लेखाकार) की सेवा विनियम 1993 के सम्बन्ध में। | तृतीय/(11)/93 | डेफर किया जाय। प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार पुनः अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| (12) | प्रतिनियुक्ति रिजर्व एवं लीव रिजर्व में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के दो पदों का सृजन। | तृतीय/(12)/93 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्यय भार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा की यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्ययभार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता (इफिसेन्सी) में वृद्धि होती है। |
| (13) | आशुलिपिक ग्रेड-2 के दो पद निजी सचिव ग्रेड-2 में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में। | तृतीय/(13)/93 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्यय भार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा की यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्यय-भार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता (इफिसेन्सी) में वृद्धि होती है। |
| (14) | अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में। | तृतीय/(14)/93 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्ययभार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा कि यह देख लिया जाय की प्रस्तावित बढ़े व्ययभार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता (इफिसेन्सी) में वृद्धि होती है। |
| (15) | साइक्लोस्टाइल आपरेटर को वेतनमान रू0 950-1500 दिये जाने के सम्बन्ध में। | तृतीय/(15)/92 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्ययभार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा की यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्यय भार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता (इफिसेन्सी) में वृद्धि होती है। |
| (16) | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान रू0 870-1051 को वेतनमान रू0 950-1500 किये जाने के सम्बन्ध में। | तृतीय/(16)/93 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्ययभार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा की यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्यय भार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता (इफिसेन्सी) में वृद्धि होती है। |
| (17) | दफ्तरी पद धारकों को दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य करने के सम्बन्ध में। | तृतीय/(17)/93 | डेफर किया जाय। परिषद ने इस प्रकरण में होने वाले व्यय भार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा की यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्यय भार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| {18} | डिप्लोमा होल्डर मस्टररोल दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के दैनिक वेतन दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में। | तृतीय/{18}/93 | डेफर किया जाय। परिषद इस प्रकरण में होने वाले व्ययभार के सापेक्ष इस मद के पुनः परीक्षण की अपेक्षा की और चाहा कि यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित बढ़े व्यय भार के अनुरूप परिषद की कार्यक्षमता {इफिसिएन्सी} में वृद्धि होती है। |
| {19} | परिषद की गाजियाबाद योजना संख्या-3 में समाविष्टसर्वश्री दयानन्द आदि की भूमि के विषय में परिषद के संकल्प संख्या प्रथम/19/92 दिनांक 15.1.92 जिसके द्वारा अर्जित भूमि खसरा सं0-360/0-10-0,361/0-8-0, 363/1-0-1,364/1-0-0,365/0-13-0 366/0-15-0,369/0-9-0,370/0-10-0, 373/1-1-0,374/1-0-0,376/1-19-0, 380/0-8-0,381/1-12-0,383/0-10-0, 384/0-11-0,386/1मि0/0-1-4 तथा 375/1-6-0 कुल 13-13-5 बीघा भूमि को विकास शुल्क लेकर अर्जन मुक्त किये जाने का प्रस्ताव था, में आंशिक संशोधन करते हुए प्रश्नगत भूमि को परिषद अधिनियम की धारा-50 के अन्तर्गत आसधार शुल्क लेकर भूमि को अर्जनमुक्त करने का प्रस्ताव। | तृतीय/{19}/93 | इस प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाय। |
| {20} | झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम-झूंसी कोहना के खसरा संख्या-474 के सम्बन्ध में। | तृतीय/{20}/93 | परिषद ने 140.6 व0मी0 भूमि संस्तुति के अनुरूप अर्जनमुक्त करने व शेष भूमि को अर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की। तदनुरूप नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायें। |
| {21} | श्री ए0के0 यादव,अवर अभियन्ता के पक्ष में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 12/324 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में। | तृतीय/{21}/93 | दण्ड ब्याज माफ करने व भवन का कब्जा श्री यादव को दिलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। |
| {22} | परिषद की राजाजीपुरम् योजना लखनऊ के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में। | तृतीय/{22}/93 | बाईसरकलेशन का आदेश अवलोकित किया गया। |
| {23} | कानपुर योजना संख्या-1 में आरक्षित स्कूल भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में। | तृतीय/{23}/93 | प्रकरण का पुनः परीक्षण करा लिया जाय। आवश्यकतानुसार अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| {24} | शास्त्री नगर योजना संख्या-3 मेरठ में डी ब्लाक स्थित धार्मिक/सामाजिक संस्थाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड सं. एस. आर-3 के आवंटन के सम्बन्ध में। | तृतीय/{24}/93 | इस प्रकरण का पुनः परीक्षण करा लिया जाय। यह भी देख लें कि क्या इस योजना में शैक्षिक कार्यक्रम हेतु भी भूमि की आवश्यकता है अथवा नहीं ? |
| {25} | परिषद योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं/धमार्थ संस्थाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड के आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में। | तृतीय/{25}/93 | स्थानीय समिति के परीक्षण के बाद प्रकरण सीधे परिषद की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय। |
| {26} | परिषद की चिरंजीलाल कन्या विद्यालय योजना अलीगढ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 10/1 को श्रीमती आशा बेगम के पक्ष में आवंटित करने के सम्बन्ध में। | तृतीय/{26}/93 | इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि प्रार्थिनी विवादित भूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगी और यदि करती है तो परिषद पुनः उक्त सम्पत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगी। |
| {27} | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:- | | परिषद द्वारा गठित समितियाँ अपनी आख्या परिषद की आगामी बैठक में रखा करें। यदि किसी कारण उनकी आख्या प्रस्तुत नहीं हो पाती है तो परिषद की उक्त बैठक में उसका कारण स्पष्ट किया जाय। साथ ही परिषद में रखे जाने वाले सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरणों का भी परीक्षण मद संख्या 12 के अनुरूप कर आवश्यकतानुसार परिषद में प्रस्तुत किया जाय। |

आवास आयुक्त महोदय
=================

कृपया मद सं07 के बारे में अपने आदेश दिनांक 28.7.93 का संदर्भ लें (पूर्व पृष्ठ) इसमें कहा गया है कि विकास शुल्क वर्तमान दर पर प्राप्त कर भूमि को समायोजित किये जाने का निर्णय है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुर्सीरोड विस्तार योजना में इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट फार स्पेशल एजूकेशन की भूमि खसरा सं0 41,50 व 25 क्रय की गयी है जो परिषद की कुर्सीरोड विस्तार योजना तृतीय चरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित है। दिनांक 27.5.93 को उक्त खसरा को अर्जनमुक्त करने का प्रस्ताव बाईसरकुलेशन स्वीकृत किया। बाई सरकुलेशन अनुमोदन टिप्पणी पृष्ठ-18 पर एतद्विषयक आयुक्त एवं प्रमुख सचिव के आदेश टिप्पणी पृष्ठ-10 पर उपलब्ध है। आपके आदेशानुरूप पत्रावली सेवा में प्रेषित है।

2.8.93

(डी0के0वर्मा)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

2537 3-8-93

आवास आयुक्त (म0)
-----------------

कृपया दिनांक 6.7.93 को हुई परिषद बैठक के विषय में अपने आदेश दिनांक 23.7.93 एवं तदोपरान्त दिये गये निर्देश का संदर्भ लें। इस क्रम में अवगत कराना है कि कार्यवृत्त का आलेख्य अन्तिम रूप से तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व प्रेषित आलेख्य में अध्यक्ष (म0) ने मद सं07 व 19 में संशोधन किये थे। इस परिपेक्ष्य में उनसे हुई आपकी वार्ता के क्रम में मद संख्या-7 में उल्लिखित कर दिया गया है कि गाटा संख्या 25, 41 व 50 को परिषद के वर्तमान विकास शुल्क पर परिषद की योजना में समायोजित किया जाय। मद सं0-19 गाजियाबाद योजना संख्या-3 में समाविष्ट स्वर्ग श्री दयानन्द आदि की भूमि को विकास शुल्क के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा-50 के अन्तर्गत अनुधारण शुल्क लेने के सम्बन्ध में है, तथा उस पर लिखे टिप्पणी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाये गये हैं, और लिखा है कि "स्पष्ट नहीं है" यद्यपि इसे और स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। इसको मद संख्या 7 और 19 पर आवश्यक संशोधन हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है, कृपया कार्यवृत्त को अन्तिम रूप देने अनुमोदित करने की कृपा करें। इसके साथ मद सं07 की पत्रावली संलग्न है।

P.T.O.

6.8.93 10.8.93

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(43)

-3-

अध्यक्ष/प्रमुख सचिव

अनुमोदनार्थ

16/8/93

16/8/93

सचिव

कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।
16/8/93

डा० प्रा० डायरी 2618 / 18-8-93

from O.S.P. Rec'd on 25/8/93
25/8/93

उप आ०का० (प्र०)/सचिव महोदय

परिषद बैठक दिनांक 6/7/93 का कार्यवृत्त अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाना है। कृपया सम्मुख रखे सिंसिल पर अवलोकनोपरान्त हस्ताक्षर करना चाहें।

25/8/93

25/8/93

25/8/93
DC

25/8/93